तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.26	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई प्रतिवादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का चार टुकडे कर दिए है , जो अलग –अलग होने के के कारण काश्त करने में भी कठिन होगा तथा मौके पर ढाणियां व कब्जा काश्त के विपरित किया है, अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा का तहसीलदार सिवाना से पुनः तलब की जावे। वादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया। वादी का अनुतोष वादग्रस्त भूमियों को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का है तथा अदालत हाजा द्वारा वादग्रस्त भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी पालना में तहसीलदार सिवाना द्वारा भी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में पक्षकारन को विधिवत नोटिस दिया जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव ही प्रेषित किया गया है,तथा उक्त प्रस्ताव वादी व प्रतिवादीगण के उपस्थित में ही तैयार किया गया है लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज की जाती है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ग्राम अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 135, 136, 138 व 139 कुल रकबा 9.9275 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:–	

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	गणपतलाल पुत्र केसाराम हिस्सा 1/2 जाति गुरू सा.देह [illegible] एस. बी.आई. शाखा पादरू, भटाराम पुत्र केसाराम हिस्सा 1/[illegible] देह खातेदार रहन [illegible] शाखा पादरू	135 [illegible] [illegible]36 139 [illegible]	0.5244 [illegible].3652 [illegible]3640 [illegible]0902 1.6159	पीला
	योग	[illegible]	4.9597	पीला
2	पारसराम पुत्र गेबाराम जाति गुरू सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा पादरू	138 136 139	0.0017 2.1992 2.7588	हरा
	योग	3	4.9597	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

3	गणपतलाल पुत्र केसाराम हिस्सा 1/4 जाति गुरू सा.देह खतोदारी रहन एस. बी.आई. शाखा पादरू, भटाराम पुत्र केसाराम हिस्सा 1/4 जाति गुरू सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा पादरू, पारसराम पुत्र गेबाराम हिस्सा 1/2 जाति गुरू सा.देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा पादरू	139	0.0081	काला
	योग	1	0.0081	काला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैक रहन उक्त आदेश से अप्रभावित रहेगा विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :–

पारसराम पुत्र गेबाराम जाति गुरू निवासी अन्नपूर्णानगर सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गणपतलाल पुत्र केसाराम जाति गुरू निवासी अन्नपूर्णानगर सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. भटाराम पुत्र केसाराम जाति गुरू निवासी अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.पादरू तहसील सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–19.01.2026

मुकदमा नंबर :–02/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री ललित जांगिड़ व मिनजानिव मुद्दई श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह्र पेश होकर डिक्री दी जाती है वादी का वाद का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना के नये खसरा संख्या 135, 136, 138 व 139 कुल रकबा 9.9275 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	गणपतलाल पुत्र केसाराम हिस्सा 1/2 जाति गुरू सा. देह खतोदारी रहन एस.बी.आई. शाखा पादरू, भटाराम पुत्र केसाराम हिस्सा 1/2 जाति गुरू सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा पादरू	135 136 136 139 139	0.5244 0.3652 0.3640 2.0902 1.6159	पीला
	योग	5	4.9597	पीला
2	पारसराम पुत्र गेबाराम जाति गुरू सा.देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा पादरू	138 136 139	0.0017 2.1992 2.7588	हरा
	योग	3	4.9597	हरा
3	गणपतलाल पुत्र केसाराम हिस्सा 1/4 जाति गुरू सा. देह खतोदारी रहन एस.बी.आई. शाखा पादरू, भटाराम पुत्र केसाराम हिस्सा 1/4 जाति गुरू सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा पादरू, पारसराम पुत्र गेबाराम हिस्सा 1/2 जाति गुरू सा.देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा पादरू	139	0.0081	काला
	योग		0.0081	काला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार [illegible] नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक रहन इस आदेश से अप्रभावित रहेगा। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान [illegible] अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.01.2026 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

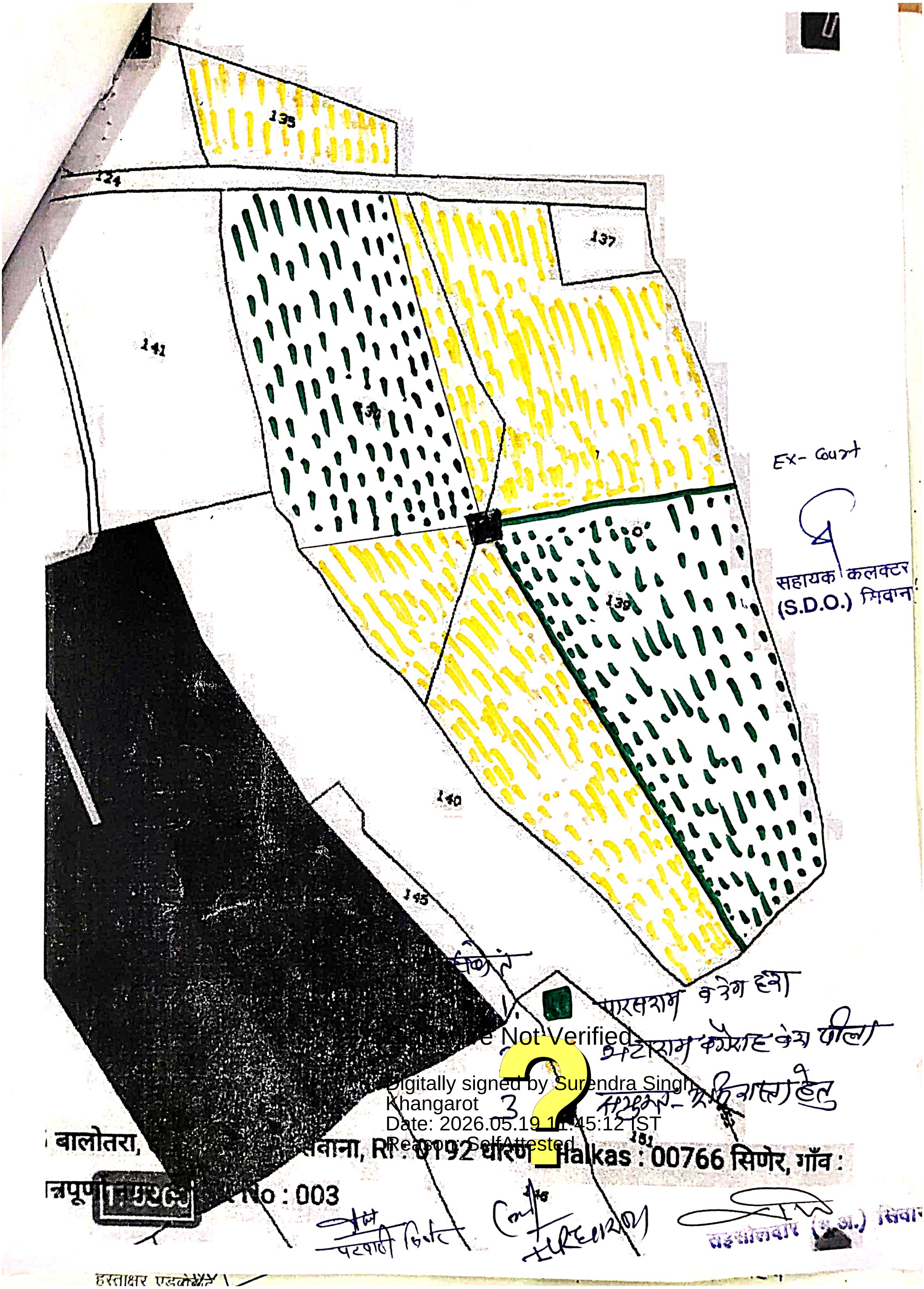

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested